E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

पुलिस का आधुनिकीकरण एवं उनकी समस्याएँ

सामन्त सिंह

शोधार्थी, विषय राजनीति शास्त्र, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर (म.प्र)

Paper Rcevied date

05/10/2025

Paper date Publishing Date

10/10/2025

DOI

https://doi.org/10.5281/zenodo.17553638

IMPACT FACTOR 5.924

शोध-सार

हमारे देश में विभिन्न प्रकार के अपराध हैं जैसे आर्थिक अपराध, सामाजिक अपराध, पारिवारिक अपराध एव व्यापारिक अपराध इन सभी अपराधों को रोकने के लिये पुलिस का आधुनिकीकरण होना आवश्यक है। हमारे देश में अपराधों को रोकने के लिये बहुत से संवैधानिक कानून बनाये हैं। आर्थिक अपराध रोकने के लिये अब अनेक देशों के न्याय तथा पुलिस विभाग में पारस्परिक संधि हो गयी है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय अपराधियों के साथ निपटा जा सके। आर्थिक अपराध शासन के उच्च स्तर पर बैठे लोग तथा उच्च श्रेणी के व्यापारी तथा व्यवसायी आर्थिक अपराध करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ही अभी तक एकमात्र देश है जिसने 2018 में एक कानून द्वारा अपने देश के किसी व्यापारी व्यवसायी को दूसरे देश के सरकारी अफसरों को सहूलियत तथा सुविधा प्राप्त करने के लिये नकद या सामग्री में घूस देने को दण्डनीय अपराध माना है। उस देश का कानून किसी भी व्यापारी या व्यवसायी संस्था को किसी राजनैतिक दल को चन्दा देना गुरुतम अपराध माना है। 2006-2008 में इस अपराध में बहुत से व्यापारी संगठनों पर जुर्म कायम हुए थे। चाहे उस समय के शासकदल को ही चन्दा क्यों न दिया हो, वृद्धि को कार्यवाही करनी पड़ती है। व्यापारी विषयों में जहाँ धोखाधड़ी का सन्देह हो एक राज्य का व्यक्ति जब दूसरे राज्य में पकड़ा गया हो और उसके मुकद्दमें में गवाही दिलानी हो तो जिस राज्य का नागरिक है उसे इस कार्य में पूरा सहयोग दिलाना होगा। इस सम्बन्ध में हेग (नीदरलैण्ड की राजधानी) में 18 मार्च 1970 को एक संहिता स्वीकार हुई थी जिसे बहुत से देशों ने स्वीकार किया था। इसकी धारा 7-8-9 तथा 12 के अनुसार जिस अदालत में मुकदमा हो वह दूसरे देश से साक्षी के समय अपना प्रतिनिधि भेजने को कह सकता है।

मुख्य बिन्दु - अपराध, आधुनिकीकरण, पारस्परिक, कानून, राजनैतिक

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

पुलिस सुधार की दिशा और दशा अपने आप तय हो रही है, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं । ये शब्द हैं देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के । विदित हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह वक्तव्य पुलिस सुधारों को तुरंत लागू किये जाने की मांग करती एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है। देश की शीर्ष अदालत का इस तरह से निःसहाय हो जाना अखरता है, लेकिन पुलिस सुधारों की प्रगति पर नज़र डालें तो न्यायपालिका का हतोत्साहित होना आश्चर्यचकित नहीं करता है।

दरअसल, पुलिस बल राज्य द्वारा अधिकारित व्यक्तियों का एक गठित निकाय है, जो राज्य द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करने, संपत्ति की रक्षा और नागरिक अव्यवस्था को सीमित रखने का कार्य करता है। पुलिस को प्रदान की गई शक्तियों में बल का वैध उपयोग भी शामिल है। पुलिस बल को राज्य की रक्षा में शामिल सैन्य या अन्य संगठनों से अलग बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। हालाँकि, सच्चाई यह है कि वर्तमान समय में पुलिस व्यवस्था अपना उदात्त स्वरूप खो चुकी है।

आज आम आदमी को अपराधी से जितना डर लगता है, उतना ही डर पुलिस से भी है । उदाहरणार्थ किसी अपराधी गिरोह द्वारा हत्याएँ किये जाने अथवा किसी बड़े बैंक में डकैती डालने की घटना सामने आते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं, जब अपराधी अपना काम करके निकल जाते हैं तो लोग अपने घरों से निकलते हैं और पुलिस को देखते ही पुनः एक बार फिर अपने घरों के खिड़की, दरवाजे बंद कर लेते हैं। इन घटनाओं से तो यही प्रतीत होता है कि पुलिस ने जनता का सहयोगी होने के अपने दायित्व को भुला दिया है। जैसे-जैसे हमारी अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है उसमें साइबर अपराध और धोखाधड़ी जैसे अपराधों की संख्या में भी वृद्धि होना स्वाभाविक है। भ्रष्टाचार आज हमारे देश में संक्रामक रोग की तरह फैल चुका है। जब भ्रष्टाचार हमारे जीवन का एक अंग बन गया हो तो फिर पुलिस व्यवस्था कैसे इससे अछूती रह सकती है। हमारी पुलिस व्यवस्था में सुधार कर उसे बदलते वक्त के अनुरूप बनाना होगा।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे पीड़ित लोगों को न्याय प्रदान करेंगे तथा उन्हें समाज विरोधी तत्वों से बचाएंगे । वरिष्ठ अधिकारी जो कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये कृतसंकल्प हो, वह जैसे ही सुधारों की प्रक्रिया आरम्भ करता है उसका तबादला कर दिया जाता है। दरअसल, पुलिस व्यवस्था में सुधार के जो पहलू हम फिल्मों में देखते हैं, व्यवहारिक तौर पर सम्भव नहीं है। पुलिस व्यवस्था में बदलाव एक संगठन में लाए जाने वाले बदलावों की तर्ज़ पर ही लाया जा सकता है और कोई भी वरिष्ठ

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

अधिकारी, अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रवृत्ति में रातोंरात बदलाव नहीं ला सकता है। लेकिन तबादलों से तंग वरिष्ठ अधिकारी वर्ग अब तो जैसे सुधारों की प्रक्रिया से ही तौबा कर चुका है। पुलिस व्यवस्था में जड़ जमा चुकी इस विसंगति को बदलने के लिये पुलिस सुधार तो करना ही होगा। गौरतलब है कि अभी तक कोई ऐसा तरीका विकसित नहीं किया जा सका है जिससे अपराधी को सभ्य ढंग से अपराध कबूल करने के लिये प्रेरित किया जा सके और शायद कभी कर भी न पाएँ, इसलिये 'थर्ड डिग्री' का हम चाहे जितना विरोध करें, उसकी कुछ न कुछ ज़रूरत शायद हमेशा बनी रहेगी। लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ निर्दोष व्यक्तियों के साथ ज़्यादती होती है और हमारी पुलिस इतनी संवेदनशील नहीं है कि वह स्वयं को निर्दोष व्यक्तियों के दुःख-दर्द से जोड़ सके ।

वस्तुतः राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना तो वर्ष 1977 में कर दी गई थी, लेकिन पुलिस सुधारों की चर्चा को जीवंत रखने और शीर्ष न्यायपालिका में ले जाने का श्रेय प्रकाश सिंह को जाता है। वर्ष 1996 में पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने 1977-81 के पुलिस आयोग की भुला दी गई सुधार - सिफारिशों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था। प्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश और असम जैसे कानून-व्यवस्था के लिहाज़ से मुश्किल माने जाने वाले राज्यों में पुलिस महकमे के मुखिया के साथ-साथ सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख भी थे अतः यह स्वाभाविक है कि कानून-व्यवस्था को सक्षम बनाने की राह में व्यवस्थाजन्य बाधाओं को वे बखूबी समझते होंगे। प्रकाश सिंह की पहल से दस वर्ष में आए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों के अनुरूप, पुलिस को राजनीति और नौकरशाही के बेजा दबावों से मुक्त करने और उसकी कामकाजी स्वायत्तता को बाह्य निगरानी के अपेक्षाकृत व्यापक माध्यमों से संतुलित करने पर बल दिया। हालाँकि, इन निर्देशों का (कुछ हद तक केरल को छोड़ कर) तमाम राज्यों और केंद्र ने भी अब तक छद्म अनुपालन ही किया है।

सर्वोच्च न्यायालय का पुलिस सुधार मुख्यतः स्वायत्तता, जवाबदेही और लोकोन्मुखता के बिंदुओं पर केंद्रित है। पुलिस की स्वायत्तता को मजबूत कर उसे बाह्य दबावों से मुक्त रखने के लिये सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि डीजीपी, आइजी, एसपी, एसएचओ की दो वर्ष की निश्चित तैनाती मिलनी चाहिए तथा डीजीपी और अन्य चार वरिष्ठतम पुलिस अधिकारियों को उप पुलिस अधीक्षक स्तर तक के तबादलों का अधिकार दिया जाना चाहिये। पुलिस को कानूनी चौहद्दी में रखने के लिये राज्य पुलिस आयोग और पुलिस शिकायत प्राधिकरण की अवधारणा पर भी विचार किया गया। राज्यों को नए सिरे से लोकोन्मुख पुलिस

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

अधिनियम बनाने का निर्देश दिया गया। पुलिस सुधार की आवश्यकता के सन्दर्भ में दो राय रखने वाले कम ही देखने को मिलेंगे। हालाँकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अब तक की सारी कयावाद कागज़ पर शानदार, पर व्यवहार में 'नई बोतल में पुरानी शराब' से ज़्यादा कुछ नहीं है! क्योंकि उपरोक्त प्राधिकरणों के गठन और कार्य-संस्कृति में सरकारों की न केवल निर्णायक भूमिका होगी बल्कि उनके पास पुलिस को घुटने पर लाने के लिये भी हज़ारों तरीके उपलब्ध रहेंगे। इसकी पूरी सम्भावना है कि दो वर्ष की स्वायत्तता के लिये कोई भी पुलिसकर्मी अपना पैंतीस वर्ष का सेवाकाल और सेवा - उपरांत फायदा दाँव पर नहीं लगाएगा । अतः वर्तमान सुधारों में पुलिस बल को बिना अदालती आदेश और जाँच-पड़ताल के डर के नागरिक - संवेदी बनाए जाने को भी जोड़ना होगा ।

गौरतलब है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में राजनीतिक सत्ता को एक सिरे से खारिज़ नहीं किया जा सकता। इस बात का संज्ञान न तो सर्वोच्च न्यायालय ने लिया और न ही पुलिस सुधार पर केंद्रित किसी भी आयोग या समिति का ऐसा मत रहा है। हमें समझना होगा कि लोकतांत्रिक पुलिस सुधार का क्रियाशील आधार एक सशक्त समाज ही हो सकता है, न कि समाज-निरपेक्ष पुलिस स्वायत्तता । पुलिस के वर्तमान कामकाजी संबंधों के अंतर्गत ही एक संवेदी और लोकोन्मुख कानून-व्यवस्था का निर्माण, प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से हासिल कर पाना संभव नहीं होगा। अतः पहले पुलिस नियुक्तियों की गुणवत्ता में वृद्धि करनी होगी। चूँकि पुलिस में आया हुआ व्यक्ति हमारे बीच का ही है, इसलिये पुलिस सुधारों की रुपरेखा तय करते समय समाजशास्त्र के नियमों को भी ध्यान में रखना होगा ।

विदित हो कि जिन राज्यों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर अमल हो रहा है वहाँ भी वरिष्ठ अधिकारियों को दो साल की बात कौन करे यहाँ तक कि दो महीने में ही तबादला कर दिया जा रहा है और कहीं से विरोध की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। यह दिखावटी सुधारों की ही स्थिति है। वस्तुतः पुलिस सुधार की वर्तमान कवायद पुलिस को सत्ता के प्रतिष्ठान से मुक्त करने की कोशिश पर आधारित है। इस कयावाद में पुलिस को बाह्य निगरानी के माध्यम से संतुलित रखने की परिकल्पना भी शामिल है। इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस सुधार के लिये ये सारे प्रयास महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन इन प्रयासों के साथ-साथ पुलिस को नागरिक-संवेदी बनाने पर भी बल देना होगा ।

"जाके पांव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई " ।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

पुलिस सुधारों के सन्दर्भ में यह कथन एकदम सटीक बैठता है । स्वतंत्रता - प्राप्ति के साथ ही यह मान लिया गया कि प्रशासनिक मशीनरी अपने आप लोकोन्मुख हो जाएगी। लेकिन जब राजनीतिक सत्ता का चरित्र ही खास नहीं बदला तो नौकरशाही या पुलिस का कैसे बदलती। पुलिस सुधार, केवल 21वीं सदी की ज़रूरत नहीं है बल्कि आज़ादी के बाद से ही इसमें सुधार की गुंजाइश थी जो समय के साथ और बढ़ती चली गई। एक मज़बूत समाज अपनी पुलिस की इज्ज़त करता है और उसे सहयोग देता है, वहीं एक कमज़ोर समाज पुलिस को अविश्वास से देखता है और प्रायः उसे अपने विरोध में खड़ा पाता है। अतः पुलिस सुधारों को सामाजिक कल्याण से जोड़कर ही इनके वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है।

पुलिस कर्मचारियों के लिए सुविधाएँ

चिकित्सा सुविधाएं : सरकारी दरों पर चिकित्सा सुविधा और कुछ अस्पतालों में निजी अस्पतालों में भी विशेष दरों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है।

वित्तीय सहायता : वित्तीय सहायता योजनाएं, जैसे कि आकस्मिक मृत्यु बीमा, बच्चों की शिक्षा और पुत्री की शादी के लिए अनुदान शामिल हैं।

वेतन और भत्ते : आकर्षक वेतन पैकेज के अलावा, पुलिस कर्मचारियों को कई भत्ते मिलते हैं जैसे फील्ड भत्ता, टेलीफोन / मोबाइल कनेक्शन भत्ता, रात्रि ड्यूटी भत्ता और बिजली बिल भत्ता ।

अन्य सुविधाएं : पुलिस कैंटीन, सेवा निवृत्त योजनाएं और वार्षिक भुगतान किए गए पत्ते भी उपलब्ध हैं।

नागरिकों के लिए सुविधाएं : वरिष्ठ नागरिक सहायताः कुछ राज्यों में, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पोर्टल के माध्यम से पुलिस को सूचित करने की सुविधा है, जिससे बीट प्रभारी गश्त के दौरान उनसे मिल सकें ।

पुलिस सेवा : नागरिकों को पुलिस से संपर्क करने के लिए नागरिक पोर्टल जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं, जिसमें चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने जैसे विकल्प भी शामिल हो सकते हैं।

आंतरिक प्रबंधन : रिजर्व पुलिस बलः कानून और व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए रिजर्व पुलिस बल उपलब्ध कराया जाता है।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

प्रशासनिक सेवाएं : **पुलिस मुख्यालय अनुशासन, प्रशिक्षण, स्टोर, भवन रखरखाव और मैगजीन जैसे मामलों की देखरेख करता है।**

संदर्भ सूची

1. **मीश्के एच., कैलहौन बी** 9-1-1 **आपातकालीन कॉल सेंटरों में व्यावसायिक तनाव के स्रोतों, लक्षणों और बफर्स का अन्वेषण | एन इमर्ज डिस्पैच रिस्पांस** | 2015 **पृष्ठ** 126.
2. **वाशिंगटन, डीसीः बर्क टीडब्ल्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस; 1995, पृष्ट 67**
3. **वीबेल एल., औसेदत एम., परेरा बी., डुथिल एफ. आपातकालीन चिकित्सा प्रेषकों में तनाव और लार संबंधी कोर्टिसोलः एक यादृच्छिक शिफ्ट नियंत्रण परीक्षण | प्लॉस वन 2017, पृष्ट 33**
4. **लिली एमएम, लंदन एमजे, मर्सर एमसी 911 दूरसंचारकर्ताओं में मोटापे और शारीरिक स्वास्थ्य शिकायतों के पूर्वानुमान । सेफ हेल्थ वर्क, पृष्ट 67**
5. **स्टर्म आर., हट्टोरी ए. संयुक्त राज्य अमेरिका में रुग्ण मोटापे की दर तेज़ी से बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ऑफ ओबेसिटी। 2013**